# रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
**(भारत सरकार का उद्यम)**

## कारपोरेट कार्यालय: नई दिल्ली

## परिपत्र

समय की पाबंदी लागू करने के विषय में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद यह पाया गया है कि दंडाभाव में कार्मिक देर से आ रहे हैं। वास्तव में कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इस संबंध में गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

अतः एक बार फिर अनुरोध है कि सभी कर्मचारियों को सभी कार्य दिवसों को 1.30 बजे से 2.00 बजे तक के मध्याह्न-भोजन अवकाश के साथ प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक की कार्यालय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए ।

यह भी नोट किया गया है कि एक कर्मचारी कई अन्य कर्मचारियों का कार्ड पंच कर देता है और इस प्रकार बड़े पैमाने पर प्रॉक्सी उपस्थिति दर्ज की जाती है ।

सभी कर्मचारियों के ध्यान में यह बात लाई जाती है कि प्रॉक्सी उपस्थिति धोखाधड़ी और चोरी की श्रेणी में आती है तथा ये दोनों ही दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की प्रॉक्सी उपस्थिति करवाने वाले कर्मचारी को उसके विरूद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्रवाई के कठोर परिणामों को भुगतना होगा ।

ह0/-
(वी.के.शर्मा)
मुख्य सतर्कता अधिकारी
दिनांक 17.09.2002

सं. पर्स/पीआर/।।।(178)/2000/1363

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) के सहायक निदेशक
2. सभी कार्यकारी निदेशक, आरईसी
3. प्रभागों के सभी मुख्याधिकारी/कंपनी सचिव, आरईसी
4. सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक/अपर निदेशक सायर, हैदराबाद
5. आरईसी कर्मचारी यूनियन/अधिकारी एसोसिएशन
6. सभी नोटिस बोर्ड
7. मास्टर फाइल/कार्यालय प्रति